

2025/78

t -

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देगू जिला चितौडगढ़ (राज.)
प्रार्थना पत्र संख्या - 14/2025 दिनांक 23/4/25

अनवान

~~देवीलाल शिवा देवा श्री शर्मा~~

~~गिवाली जालमपुरा तब गेरे~~ प्रार्थी / प्रार्थीगण

दस्तावेज

~~गोपीलाल शिवा एलनद शर्मा~~

~~गिवाली जालमपुरा तब गेरे~~ प्रार्थी / प्रार्थीगण

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत दस्त पत्थरगढी करने

न्यायालय में अधिवक्ता श्री V.P. शर्मा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके तहत जॉच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जॉच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण देवेंद्र आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि अराजी मौजा गालमपुरा पटवार हल्का महादारी की आराजी संख्या 132 श्री. कुल कीता-01 कुल रकबा 2.4280 हेक्टर कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि अराजी मौजा गालमपुरा पटवार हल्का महादारी की आराजी संख्या 132 श्री. कुल कीता-01

कुल रकबा 2.4280 हेक्टर भूमि की पत्थरगढी हेतु सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 2500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र
कीता (03)

MP
उपखण्ड अधिकारी, देगू
जिला चितौडगढ़(राज.)

क्रमांक / सरिरता / 2025/ 214
प्रार्थना पत्र संख्या 14/25 व अनवान देवेंद्र शर्मा प्रार्थना पत्र अध्या 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्तु पालनाय दी जाती है।

दिनांक :- 23/4/25

MP
उपखण्ड अधिकारी, देगू
जिला चितौडगढ़(राज.)